20.9.22

पत्रावली पेश हुयी

चूंकि मूल वाद अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है, लिहाजा इस अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

अतः मूल वाद संख्या अन्तर्गत अपील अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलेण्डर अनुसार नियत हाजिरी हेतु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:01 IST
Reason: SelfAttested

21/09/22

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी